

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 नवम्बर 2021—अग्रहायण 1, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-05-2017-1-पांच (84).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

भाग दो में, अनुक्रमांक 10 क के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक “25” के स्थान पर अंक “4” स्थापित किया जाए।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 नवम्बर, 2021 से प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-05-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-05-2017-1-पांच (84), दिनांक 22 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 22nd November 2021

No. F A 3-05-2017-1-V-(84).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in schedule II of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In part-II, against serial number 10A, in column (3), for the figure "25", the figure "4" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 23rd November, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.